आर टी आई मामला/प्रथम अपील

सं. 14036/430/2013-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली, दिनांक : 15th जुलाई, 2013

आदेश

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के तहत श्रीमती शीला देवी द्वारा दायर की गई अपील।

जबकि श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री मंगतराम, ए-97, चावला कॉलोनी, बल्लभगढ़-121004, जिला फरीदाबाद, हरियाणा ने आई एस प्रभाग (विधि प्रकोष्ठ) गृह मंत्रालय के दिनांक 4 अप्रैल, 2013 के पत्र सं. 15015/3/2013-एल सी के खिलाफ अपनी दिनांक 6.5.2013 की प्रथम अपील (इस अनुभाग में आई एस-।। पभाग गृह मंत्रालय के माध्यम से दिनांक 5.6.2013 को प्राप्त) प्रस्तुत की।

2. जबकि श्रीमती शीला देवी का दिनांक रहित आर टी आई आवेदन उनकी शिकायत पर की गई कार्रवाई के बारे में सूचना प्रदान करने हेतु इस अनुभाग में दिनांक 5.6.2013 को प्राप्त हुआ था। जबकि आर टी आई की विषय-वस्तु दिल्ली पुलिस से संबंधित थी, इसे आगे सूचना प्रदान करने के लिए हमारे दिनांक 12 जून, 2013 के पत्र सं. 14036/430/2013- यू टी पी के तहत पुलिस उपायुक्त, दिल्ली पुलिस और लोक सूचना अधिकारी (पुलिस मुख्यालय) आई पी एस्टेट, नई दिल्ली को अंतरित किया गया था।

3. जबकि उक्त केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (गृह मंत्रालय) के पास आवेदक के साथ साझा करने के लिए कोई सूचना नहीं थी और इसलिए आर टी आई आवेदन को विधिवित रूप से दिनांक 12 जून, 2013 के पत्र सं. 14036/430/2013-यू टी पी (प्रति संलग्न) के तहत दिल्ली पुलिस के संबंधित अधिकारी को अंतरित कर दिया गया था, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी की कार्रवाई उचित है।

4. आवेदक, यदि इच्छुक हो, तो इस मामले में आगे किसी सूचना के लिए दिल्ली पुलिस के संबंधित लोक सूचना अधिकारी से संपर्क करें। श्रीमती शीला देवी द्वारा दायर अपील का निपटान किया जाता है।

17/7

(के के पाठक)
संयुक्त सचिव एवं अपील प्राधिकारी
दूरभाष: 23092514

श्रीमती शीला देवी
पत्नी श्री मंगत राम
ए-97, चावला कॉलोनी
बल्लभगढ़-121004
जिला फरीदाबाद, हरियाणा

प्रति प्रेषित: श्री नीरज कुमार, पुलिस आयुक्त पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई हेतु।

Issued with encl.
1798/1794
17/7

(एस. सुधा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं अवर सचिव (डी पी-।)
दूरभाष: 23092856